

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

भुवाना पिता हरदेव मीणा नि. भीलड़ी
वनाम

घीसा पिता मांग्या बैरवा नि. भीलड़ी वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 646 / 23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
21.06.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम गुलाबपुरा प. ह. टीटोड़ी तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 836/3 रकबा 0.2833 हेक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एकट स्वीकार किया जाता है ग्राम गुलाबपुरा प. ह. टीटोड़ी तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 836/3 रकबा 0.2833 हेक्टेयर स्थित भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु शु. अगिलेख निरीक्षक बावड़ी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीरा 500 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

तहसील उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

रीडर / 2023 / 646 / 2023


दिनांक :- 21.06.2023

मित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 646/2023 अनवान भुवाना पिता हरदेव मीणा नि. भीलड़ी बनाम
घीसा पिता मांग्या बैरवा नि. भीलड़ी, रायमन पिता मांग्या बैरवा नि.
भीलड़ी, रामप्रसाद पिता श्रीकिसन खटीक नि. सुभाषनगर वगैरा की
पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम गुलाबपुरा प. ह. टीटोड़ी
तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 836/3 रकबा 0.2833 हेक्टेयर स्थित भूमि की उमय
पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक बावड़ी को कमीशनर
नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर
अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी
पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)